रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 95] नई दिल्ली, शुक्रवार, फरवरी 11, 2000/माघ 22, 1921
No. 95] NEW DELHI, FRIDAY, FEBRUARY 11, 2000/MAGHA 22, 1921

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय

(स्वास्थ्य विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 11 फरवरी, 2000

सा. का. नि. 107(अ).—खाद्य अपमिश्रण निवारण नियम, 1955 का और संशोधन करने के लिए कतिपय नियमों का निम्नलिखित प्रारूप जिसे केन्द्रीय सरकार, खाद्य अपमिश्रण निवारण अधिनियम, 1954 (1954 का 37) की धारा 23 की उपधारा (1क) के साथ पठित उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय खाद्य मानक समिति से परामर्श करने के पश्चात् बनाना चाहती है, उक्त उपधारा (1) की अपेक्षानुसार उन सभी व्यक्तियों की जानकारी के लिए जिनके उससे प्रभावित होने की संभावना है, प्रकाशित किया जाता है और यह सूचना दी जाती है कि उक्त प्रारूप नियमों पर उस तारीख से जिसको उस राजपत्र की प्रतियां जिसमें यह अधिसूचना प्रकाशित की जाती है, जनता को उपलब्ध करा दी जाती है, साठ दिन की समाप्ति के पश्चात् विचार किया जाएगा;

किसी आक्षेप या सुझाव पर जो उक्त प्रारूप नियमों की बाबत ऊपर विनिर्दिष्ट अवधि की समाप्ति के भीतर किसी व्यक्ति से प्राप्त होंगे, केन्द्रीय सरकार विचार करेगी।

आक्षेप या सुझाव, यदि कोई हो, सचिव, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय, निर्माण भवन, नई दिल्ली-110011 को भेजे जा सकते हैं।

प्रारूप नियम

1. (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम खाद्य अपमिश्रण निवारण (संशोधन) नियम, 2000 है।

(2) ये राजपत्र में इन नियमों के अंतिम प्रारूप के प्रकाशन पर प्रवृत्त होंगे।

2. खाद्य अपमिश्रण निवारण नियम, 1955 में (जिसे इसमें इसके पश्चात् मूल नियम कहा गया है)—

(क) नियम 42 के उपनियम (ट) का लोप किया जाएगा;

(ख) नियम 55 की सारणी के स्तंभ 1 में प्रोदभूत "28. चीज या संसाधित चीज" प्रविष्टि के सामने स्तंभ (2) और स्तंभ (3) में की प्रविष्टियों के स्थान पर क्रमश: निम्नलिखित प्रविष्टियां रखी जाएंगी, अर्थात् :—

(2)	(3)
"सार्विक अम्ल जिसके अन्तर्गत इसका सोडियम, पोटाशियम और कैल्शियम लवण भी है।	(सार्विक अम्ल के रूप में संगणित) 3,000
नाइसीन	12.5";

(ग) नियम 78 के पश्चात् निम्नलिखित अन्त: स्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

"भाग 18-खाद्य में पशु चिकित्सा औषधि के अवशिष्ट"

"79-खाद्य वस्तुओं में पशु चिकित्सा औषधि की मौजूदगी पर निर्बंधन—"

(1) उपनियम (2) के उपबंधों के अध्यधीन रहते हुए किसी खाद्य वस्तु में किसी पशुचिकित्सा औषधि की मौजूदगी प्रतिषिद्ध है;

(2) स्तंभ (2) में उल्लिखित पशुचिकित्सा औषधि की मात्रा स्तंभ (3) में की तत्स्थानी प्रविष्टि में उल्लिखित खाद्यों में, नीचे दी गई सारणी के स्तंभ (4) में विहित अधिकतम सहय सीमा से अधिक नहीं होगा, अर्थात् :—

सारणी

क्रम सं.	पशुचिकित्सा औषधि का नाम	खाद्य	अधिकतम सहय सीमा
1.	एलबेण्डाजोल (2-अमीनीसल्फोन मेटाबोलाइट के रूप में)	दूध	100 माइक्रोग्राम/कि.ग्रा.
2.	बेन्जाइल पेनिसीलीन	दूध (ढोर)	4 माइक्रोग्राम/कि.ग्रा.
3.	आइसोमेटामिडियम	दूध (ढोर)	100 माइक्रोग्राम/कि.ग्रा.
4.	आक्सीटेटरा साइकलीन	दूध (ढोर)	100 माइक्रोग्राम/कि.ग्रा.
5.	सल्फाडिमिडाइन	दूध (ढोर)	25 माइक्रोग्राम/ली.
6.	थायाबेण्डाजोल	दूध (ढोर, बकरी)	100 माइक्रोग्राम/कि.ग्रा.

3. उक्त नियम के परिशिष्ट "ख" में,—

(क) मद क.11.01.11 में, "विभिन्न प्रकार और नाम के दूध के लिए मानक निम्न प्रकार होंगे" शब्दों के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात् :—

"विभिन्न प्रकार और नाम के दूध के मानक वह होंगे जो नीचे सारणी में दिए गए हैं, दूध, दूध वसा और गैर वसा दूध ठोस दोनों के यथाविहित प्राचलों को स्वतंत्र रूप से पूरा करेगा।";

(ख) मद क 11.02.07 में "कठोर चीज में सार्विक अम्ल या सार्विक अम्ल के रूप में संगणित इसका सोडियम, पोटाशियम, या कैल्शियम लवण 0.1 प्रतिशत या नाइसिन अकेले या संयोजन सहित 0.1 प्रतिशत होगी" शब्दों और अंकों के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात् :—

"कठोर चीज में सार्विक अम्ल या सार्विक अम्ल के रूप में संगणित इसका सोडियम, पोटाशियम अथवा कैल्शियम लवण 3000 भाग प्रति दस लाख तक और/या नाइसिन अकेले अथवा संयोजन में 12.5 भाग प्रति दस लाख तक हो सकेगी।";

(ग) मद सं. 11.02.07.01 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित मद सं. और प्रविष्टियां रखी जाएंगी, अर्थात् :—

"क 11.02.07.01—संसाधित चीज से अनुज्ञात पादसीकारकों और/या स्थायीकारकों अर्थात् साइट्रिक अम्ल, सोडियम सीट्रेट, ओर्थोफास्फोरिक अम्ल और पोलिफास्फोरिक अम्ल के (रेखिक फास्फेट के रूप में) सोडियम लवण और मिलाए गए कोडिमेन्टस सहित या बगैर और अम्लीकरण कारकों, अर्थात् सिरका, लेक्टिक अम्ल, एसीटिक अम्ल, साइट्रिक अम्ल और फास्फोरिक अम्ल के साथ एक या अधिक प्रकार के कठोर चीजों को गर्म करके अभिप्राप्त किया गया उत्पाद अभिप्रेत है। संसाधित चीज में निर्जल अनुज्ञात पापसीकारक और/या स्थायीकारक 4.0 प्रतिशत से अधिक नहीं हो सकेंगे, परन्तु निर्जल अकार्बनिक कारकों की अन्तर्वस्तु

किसी भी दशा में तैयार उत्पाद के 3.0 प्रतिशत से अधिक नहीं होगी। इसमें 47.0 प्रतिशत से अधिक आर्द्रता नहीं होगी। संसाधित चीज चिपलेटस (स्लाइस किया हुआ चीज जिसे पैक किया गया है) में, जब उनहें टिन से अन्य पैकेज में विक्रय किया जाए, 50.0 प्रतिशत से अधिक आर्द्रता नहीं होगी। दुग्ध वसा अन्तर्वस्तु शुष्क पदार्थ के 40.0 प्रतिशत से कम नहीं होगी। संसाधित चीज से सार्विक अम्ल या इसका (सार्विक अम्ल के रूप में संगणित) सोडियम, पोटाश्यिम अथवा कैल्शियम लवण 3000 भाग प्रति दस लाख तक और/या नाइसिन अकेले अथवा संयोजन में 12.5 भाग प्रति दस लाख तक हो सकेगी। इसमें कैल्शियम क्लोराइड (निर्जल) भार के 0.02 प्रतिशत से अधिक नहीं होगा।";

(घ) मद के 11.02.07.02 दूसरे पैरा में "संसाधित चीज स्प्रेड में सार्विक अम्ल या नाइसिन या दोनों हो सकते हैं, जो भार के आधार पर अधिकतम 0.01 प्रतिशत होंगे" शब्दों और अंकों के स्थान पर निम्नलिखित शब्द, अंक और कोष्ठक रखे जाएंगे, अर्थात् :—

"संसाधित चीज स्प्रेड में सार्विक अम्ल या इसका (सार्विक अम्ल के रूप में संगणित) सोडियम, पोटाशियम अथवा कैल्शियम लवण 3000 भाग प्रति दस लाख और/या नाइसिन 12.5 भाग प्रति दस लाख तक हो सकेगी।";

(ङ) मद क 11.02.16 के अंतिम पैरा में "बेकरी जैसे उद्योग द्वारा प्रयुक्त भागत: मखनिया दूध पाउडर" शब्दों से प्रारम्भ होकर "सिवाय इसके कि विलेयमा प्रतिशतता भार में न्यूनतम 75 प्रतिशत होगी" शब्दों और अंकों के साथ समाप्त होने वाले भाग का लोप किया जाएगा;

(च) मद क 18.01 में "आटा या पारिणामिक आटा से गेहूँ को दल कर या पीस कर निकाला गया मोटा उत्पाद अभिप्रेत है" शब्दों के स्थान पर निम्नलिखित शब्द रखे जाएंगे, अर्थात् :—

"आटा या पारिणामिक आटा से कृंतकतन्तु और सत्सर्ग से मुक्त गेहूँ को दल कर या पीसकर निकाला गया मोटा आटा अभिप्रेत है।";

(छ) मद क 18.02 में "मैदा से गेहूँ को दल कर या पीस कर उससे निकले चूरे को चाल कर या संसाधित करके बनाया गया महीन उत्पाद अभिप्रेत है" शब्दों के स्थान पर निम्नलिखित शब्द रखे जाएंगे, अर्थात् :—

"मैदा से कृंतकतन्तु और उत्सर्ग से मुक्त साफ गेहूँ को दल कर या पीस कर उससे निकले चूरे को चाल कर या संसाधित करके बनाया गया महीन उत्पाद अभिप्रेत है";

(ज) मद क 18.03 में "सेमोइला (सूजी या रवा) से पेसण और चालन प्रक्रिया द्वारा गेहूँ से निर्मित उत्पाद अभिप्रेत है" शब्दों के स्थान पर निम्नलिखित शब्द और कोष्ठक रखे जाएंगे, अर्थात् :—

"सेमोइला (सूजी या रवा) से पेसण और चालन प्रक्रिया द्वारा कृंतकतन्तु और सत्सर्ग से मुक्त साफ गेहूँ से निर्मित उत्पाद अभिप्रेत है।";

(झ) मद क 18.05.01

(क) "चोकर युक्त जो चूर्ण या जौ का आटा या चोकर युक्त जौ का चूर्ण से साफ और अच्छे छिलका निकाले गए जौ (हार्डियम वलगैर या हार्डियम डिस्टिकोन) के दानों को पीस कर प्राप्त किया गया उत्पाद अभिप्रेत है" शब्दों के स्थान पर निम्नलिखित शब्द और कोष्ठक रखे जाएंगे, अर्थात् :—

"चोकरयुक्त जौ चूर्ण या जौ का आटा या चौकर युक्त जौ का चूर्ण से साफ और अच्छे छिलका निकाले गए जौ होर्डियम वलगैर या होर्डियम डिस्टिकोन के ऐसे दानों को, जो कृंतकतन्तु और उत्सर्ग से मुक्त है पीसकर प्राप्त किया गया उत्पाद अभिप्रेत है।";

(ख) "कृंतकतन्तु और उत्सर्ग प्रति किलोग्राम 5 से अधिक नहीं होंगे" शब्दों, अंक और अक्षर का लोप किया जाएगा।

[सं. पी 15014/9/99-पी एच(खाद्य)]
दीपक गुप्ता, संयुक्त सचिव

पाद टिप्पण :—खाद्य अपमिश्रण निवारण नियम, 1955, भारत के राजपत्र, भाग II, खंड 3 में, का. नि. आ. 2105, तारीख 12-9-1955 द्वारा प्रकाशित किए गए थे और इनमें अंतिम संशोधन सा. का. नि. 694 (अ) तारीख 11-10-1999 द्वारा किया गया।

MINISTRY OF HEALTH AND FAMILY WELFARE

(Department of Health)

NOTIFICATION

New Delhi, the 11th February, 2000

G. S. R. 107(E).— The following draft of certain rules further to amend the Prevention of Food Adulteration Rules, 1955, which the Central Government, after consultation with the Central Committee for Food Standards, proposes to make, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) read with sub-section (1-A) of section 23 of the Prevention of Food Adulteration Act, 1954 (37 of 1954), is hereby published as required by the said sub-section (1), for the information of all persons likely to be affected thereby, and notice is hereby given that the said draft rules will be taken into consideration after the expiry of a period of sixty days from the date on which the copies of the Gazette of India in which this notification is published, are made available to the public ;

Any objection or suggestion which may be received from any person with respect to the said draft rules within the expiry of the period specified above will be considered by the Central Government;

Objections or suggestions, if any, may be addressed to the Secretary, Ministry of Health and Family Welfare, Government of India, Nirman Bhavan, New Delhi-110 011.

DRAFT RULES

1. (1) These rules may be called the Prevention of Food Adulteration (Amendment) Rules, 2000.

(2) They shall come into force on the publication of the final draft of these rules in the official Gazette.

2. In the Prevention of Food Adulteration Rules, 1955 (hereinafter referred to as the principal rules) -

(a) in rule 42, sub-rule (K) shall be omitted ;

(b) in rule 55, in the table, against entry " 28. Cheese or processed cheese" occurring in column (1), in columns (2) and (3), for the entries, the following entries shall respectively be substituted, namely: -

(2)	(3)
" Sorbic acid including its sodium, potassium and calcium salts (calculated as sorbic acid)	3,000
Nisin	12.5" ;

(c) after rule 78, the following shall be inserted, namely –

" PART XVIII –RESIDUES OF VETERINARY DRUGS IN FOODS'

" 79- Restriction on the presence of residues of veterinary drugs in article of Food. (1) Subject to the provisions of sub-rule (2), presence of residues of any veterinary drugs in any article of food is prohibited;

(2) The amount of veterinary drugs mentioned in column (2) , on the foods mentioned in corresponding entry in column (3), shall not exceed the

maximum tolerance limit prescribed in column (4) of the Table given below namely:-

Table

Sl. No.	Name of the veterinary drugs	Food	Maximum Tolerance Limit
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Albendazole (as 2-Aminisulfone metabolite)	Milk	100 micrograms/kg.
2.	Benzylpenicillin	Milk (cattle)	4 micrograms/ kg.
3.	Isometamidium	Milk(cattle)	100 micrograms/ kg.
4.	Oxytetracycline	Milk(cattle)	100 micrograms/ kg.
5.	Sulfadimidine	Milk(cattle)	25 micrograms/l
6.	Thiabendazole	Milk(cattle, goat)	100 micrograms/ kg.

3. In Appendix "B" to the said rules,

(a) in item A.11.01.11, for the words , "Standards for different classes and designations of milk shall be as follow :", the following shall be substituted, namely:-

" The standards of different classes and designations of milk shall be as given in the table below. Milk shall conform to both the parameters for milk fat and milk solids not fat, independently, as prescribed :";

(b) in item A.11.02.07, for the words and figures, " Hard cheese may contain

0.1 percent of sorbic acid, or its sodium, potassium or calcium salts calculated as sorbic acid, or 0.1 percent of nisin either singly or in combination.", the following shall be substituted, namely:-

"Hard cheese may contain up to 3000 parts per million sorbic acid, or its sodium, potassium or calcium salts calculated as sorbic acid, and /or 12.5 parts per million nisin either singly or in combination." ;

(c) for item number A. 11.02.07.01 and the entries relating thereto, the following item number and entries shall be substituted, namely :-

"A.11.02.07.01 – PROCESSED CHEESE means the product obtained by heating one or more types of hard cheeses with permitted emulsifiers and/or stabilizers namely citric acid, sodium citrate, sodium salts of orthophosphoric acid and polyphosphoric acid (as linear phosphate) with or without added condiments, and acidifying agents, namely vinegar, lactic acid, acetic acid, citric acid and phosphoric acid. Processed cheese may contain not more than 4.0 per cent of anhydrous permitted emulsifiers and/or stabilizers, provided that the content of anhydrous inorganic agents shall in no case exceed 3.0 per cent of the finished product. It shall not contain more than 47.0 per cent moisture. Processed cheese chiplets (packed sliced cheese) when sold in a package other than tin, shall not contain more than 50.0 per cent moisture. The milk fat content shall not be less than 40.0 per cent of the dry matter. Processed cheese may contain upto 3000 parts per million sorbic acid or its sodium, potassium or calcium slats (calculated as sorbic

acid) and/ or 12.5 parts per million nisin either singly or in combination. It may contain calcium chloride (anhydrous) not exceeding 0.02 per cent by weight.";

(d) in item A. 11.02.07.02, in paragraph second ,for the words and figures, " Processed cheese spread may contain sorbic acid or nisin or both to the maximum extent of 0.1 percent by weight." the following words, figures and brackets shall be substituted, namely,-

" Processed cheese spread may contain up to 3000 parts per million sorbic acid or its sodium, potassium or calcium salts (calculated as sorbic acid) and/or 12.5 parts per million nisin." ;

(e) in item A. 11.02.16, in the last paragraph, the portion beginning with the words, " Partly Skimmed Milk Powder (Sour)"and ending with the words and figures, "except that solubility percentage will be 75 percent minimum by weight." shall be omitted ;

(f) in item A.18.01, for the words, "ATTA or resultant atta means the course product obtained by milling or grinding wheat." the following words shall be substituted, namely :-

" ATTA OR RESULTANT ATTA means the course product obtained by milling or grinding clean wheat free from rodent hair and excreta.";

(g) in item A.18.02, for the words, " MAIDA means the fine product made by milling or grinding wheat and bolting or dressing the

resulting wheat meal," the following words shall be substituted, namely :-

" MAIDA means the fine product made by milling or grinding clean wheat free from rodent hair and excreta and bolting or dressing the resulting wheat meal." ;

(h) in item A. 18.03, for the words, " SEMOLINA (SUJI OR RAWA) means the product prepared from wheat by process of grinding and bolting," the following words and brackets shall be substituted, namely :-

"SEMOLINA (Suji or Rawa) means the product prepared from clean wheat free from rodent hair and excreta by process of grinding and bolting." ;

(i) in item A.18.05.01 ,-

(a) for the words and bracket, "WHOLE MEAL BARLEY POWDER OR BARLEY FLOUR OR CHOKER Yukt Jau ka Churan means the product obtained by grinding clean and sound dehusked barley (Hordeum vulgare or Hordeum distichun) grains", the following words and brackets shall be substituted, namely :-

"WHOLE MEAL BARLEY POWDER OR BARLEY FLOUR OR CHOKER Yukt Jau ka Churan means the product obtained by grinding clean and sound dehusked barley (Hordeum vulgare or Hordeum distichun) grains free from rodent hair and excreta"

(b) the words, figure and letters, "Rodent hair and excreta shall not exceed 5 pieces per kg.", shall be omitted.

[No. P. 15014/9/99-P.H. (Food)]

DEEPAK GUPTA, Jt. Secy.

Foot Note: - The Prevention of Food Adulteration Rules, 1955 were published in Part II, Section 3 of the Gazette of India vide S.R.O. 2105 dated the 12.9.1955 and were last amended vide G.S.R. 694 (E) dated the 11.10.1999.

Printed by the Manager Govt of India Press Ring Road Mayapuri New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054